50

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 2530–पीबीआर/13 विरूद्ध आदेश दिनांक 9–5–2013 पारित द्वारा तहसीलदार तहसील बडनगर जिला उज्जैन, प्रकरण क्र. 4/अ–13/2012–13

सोहनसिंह पिता मनोहरसिंह जी राजपूत
निवासी ग्राम धतुरिया तहसील बडनगर
ज़िला उज्जैन

.....आवेदक

विरूद्ध

1–गोपालसिंह पिता पर्वतसिंह
2–भुवानसिंह पिता गंगाराम
3–गोवर्धनसिंह पिता गंगाराम
निवासीगण ग्राम धतुरिया तहसील बडनगर
जिला उज्जैन

.....अनावेदकगण

.....

श्री के0के0द्विवेदी व श्री धर्मेद्र चतुर्वेदी, अभिभाषकगण, आवेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 8/6/17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार तहसील बडनगर जिला उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 9–5–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदकगण द्वारा संहिता की धारा 131 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि उसके भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि पर आने जाने हेतु रास्ता आवेदक की भूमि में से था जिसे आवेदक द्वारा अवरूद्ध कर दिया गया है, अतः रास्ता खुलवाया जाये साथ ही अंतरिम रूप से रास्ता खुलवाये जाने हेतु संहिता की धारा 32 के अन्तर्गत भी आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 4/अ–13/12–13 दर्ज कर दिनांक 9–5–2013 को अंतरिम आदेश पारित कर प्रश्नाधीन रास्ता खुलवाये जाने का आदेश दिया गया । तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदकगण द्वारा स्वयं अपने आवेदन पत्र में वैकल्पिक रास्ता होने का उल्लेख किया गया है, ऐसी स्थिति में तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक की भूमि में से नया रास्ता देने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत् स्थल निरीक्षण नहीं किया गया है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक की भूमि पर 20 वर्ष पूर्व से वाउण्ड्री वाल बनी है एवं गेट लगा हुआ है तथा बीच में मकान बना हुआ है, ऐसी स्थिति में आवेदक की भूमि में से रास्ता देने में तहसील न्यायालय द्वारा विधि एवं न्याय की गंभीर भूल की गई है । उनके द्वारा तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदकगण के प्रकरण में सूचना उपरांत रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ आवेदक के विद्वान अभिभाषकगण द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा विधिवत् स्थल निरीक्षण किया जाकर मौके पर रास्ता होना और आवेदक द्वारा उसे अवरूद्ध किया जाना पाते हुये अंतरिम रूप से रास्ता खुलवाये जाने का आदेश दिया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । इसके अतिरिक्त तहसीलदार द्वारा प्रकरण का अंतिम निराकरण किया जाना है, जहॉ आवेदक को

पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है और वे प्रश्नाधीन रास्ता मौके पर नहीं होना प्रमाणित कर सकता है । दर्शित परिस्थितियों में तहसीलदार द्वारा पारित आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार तहसील बडनगर जिला उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 9–5–2013 स्थिर रखा जाकर तहसीलदार को निर्देश दिये जाते हैं कि वे दो माह में प्रकरण का अंतिम निराकरण करें ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर